रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 295] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 20, 2016/आषाढ़ 29, 1938
No. 295] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 20, 2016/ASADHA 29 , 1938

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ('स्वयं' के माध्यम से ऑनलाइन ज्ञान–अर्जन पाठ्यक्रमों हेतु क्रेडिट ढ़ाँचा) विनियम, 2016

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2016

मि0 सं0 1–100/2016/मूक्स(ई–काँटेंट) 1. प्रस्तावना.—

1.1 जबकि शिक्षा के प्रसार हेतु उच्चतर शिक्षा तक पहुंच को व्यापक बनाया जाना तथा प्राद्यौगिकी में हुई प्रगति का उपयोग कर तत्संबंधी लागत को कम करना है,

1.2 जबकि पारम्परिक एवं ऑनलाइन शिक्षा सहित, शिक्षा प्रदान करने के लिए वृहद् मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) एक व्यावहारिक मॉडल के रूप में उभरे हैं,

1.3 जबकि ऑनलाइन ज्ञान–अर्जन के भारतीय स्वरूप ''स्वयं'' (युवा एवं उच्चाकांशी बौद्धिकों के लिए सक्रिय ज्ञान–अर्जन की अध्ययन पद्धति) को ज्ञान–अर्जन के स्वदेशी प्लेटफॉर्म पर आरंभ किया जा रहा है।

1.4 जबकि ई–ज्ञान अर्जन की कहीं–भी, कभी–भी पद्धति तथा पारंपरिक और कक्षागत चॉक–एंड–टॉक अध्यापन पद्धति के बीच तालमेल बिठाने की आवश्यकता है ताकि एक अनुपम विषयवस्तु अंतरण प्रणाली को विकसित किया जा सके जो शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा भौगोलिक सीमाओं से इतर ज्ञान का निर्बाध अंतरण सुनिश्चित कर सके।

1.5 जबकि एक ऐसी विनियामक प्रणाली स्थापित किए जाने की आवश्यकता है, जिससे ऑनलाइन ज्ञान–अर्जन तथा सामान्य कक्षागत ज्ञान–अर्जन के बीच निर्बाध संबध स्थापित किया जा सके।

अतः अब;

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का तीसरा) की धारा 26 की उप–धारा(1) के खण्ड (च) और (छ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नवत विनियम बनाता है, नामतः

2. लघु शीर्ष, अनुप्रयोग एवं प्रवर्तनः

2.1 इन विनियमों को **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ('स्वयं' के माध्यम से ऑनलाइन ज्ञान–अर्जन पाठ्यक्रमों हेतु क्रेडिट ढाँचा) विनियम, 2016** कहा जाएगा।

2.2 यह विनियम किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रान्तीय अधिनियम, अथवा किसी राज्य/संघशासित प्रदेश अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित और निगमित सभी विश्वविद्यालयों तथा ऐसे विश्वविद्यालयों से मान्यताप्राप्त सभी संस्थानों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत ऐसे सभी समविश्वविद्यालय संस्थानों पर लागू होंगे।

2.3 यह विनियम ऐसे छात्रों के क्रेडिट अंतरण पर भी लागू होंगे जिन्होंने देश में किसी भी शैक्षिक संस्थान में एक नियमित/अंशकालिक छात्र के रूप नामांकन प्राप्त किया है।

2.4 यह विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

3. परिभाषाएं

3.1 'शैक्षिक परिषद्' एक निकाय होता है जिसे 'स्वयं' के माध्यम से अनुमेय ऑनलाइन ज्ञान–अर्जन पाठ्यक्रमों के संबंध में निर्णय लेने सहित किसी संस्थान में सभी शैक्षिक मामलों के संबंध में भी निर्णय लेने हेतु शक्ति प्राप्त होती है।

3.2 'पाठ्यक्रम' का अभिप्राय एक पत्र से होगा जिसे विषय के भाग के रूप में कम से कम एक सेमेस्टर तक पढ़ाया जाएगा।

3.3 'चतुर्षदीय पद्धति': चतुर्षदीय पद्धति का अभिप्राय एक ई–ज्ञान अर्जन प्रणाली से है, जिसके निम्नवत घटक हों:

- प्रथम पद एक ई–अनुशिक्षण है: जिसमें एक सुव्यवस्थित रूप में दृश्य–श्रव्य विषयवस्तु, एनीमेशन फिल्में, स्मियुलेशन, वर्चुअल लैब अंतर्विष्ट हैं।
- द्वितीय पद एक ई–विषयवस्तु है: जिसमें जहां–कहीं भी आवश्यक हों, पीडीएफ, ई–पुस्तकें, दृष्टांत, वीडियो प्रदर्शन, दस्तावेज और इंटरेक्टिव स्मियुलेशन अंतर्विष्ट हैं।
- तृतीय पद एक वेब–संसाधन है: जिसमें विषय से संबंधित लिंक, इंटरनेट पर मुक्त वस्तुविषय, मामला अध्ययन, उपाख्यान संबंधी जानकारी, विषयों तथा लेखों का क्रमिक विकास अंतर्विष्ट हैं।
- चतुर्थ पद एक स्व–मूल्यांकन पद्धति है: जिसमें बहु विकल्प प्रश्न (एमसीक्यू), समस्या, प्रश्नोत्तरी, निर्दिष्ट कार्य एवं उनके हल, चर्चा हेतु मंच के विषय तथा बार–बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू), सामान्य भ्रान्तियों के संबंध में स्पष्टीकरण अंतर्विष्ट हैं।

3.4 'मेजबान संस्थान' का अभिप्राय उस संस्थान से है जिससे पाठ्यक्रम की पेशकश करने वाला मुख्य अन्वेषक (पीआई)/विषय विशेषज्ञ (एसएमई) संबंद्ध है तथा जिसे विनियामक प्राधिकरण द्वारा विधिवत् रूप से मान्यता प्रदान की गई है/अनुमोदित किया गया है।

3.5 'संस्थान' का अभिप्राय देश में पंजीकृत तथा कार्य प्रचालन करने वाले किसी शिक्षा संस्थान से है।

3.6 'वृहद् मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम' (एमओओसी) ऐसे ऑनलाइन पाठ्यक्रम हैं जो यहां उल्लिखित चतुर्षदीय शिक्षणशास्त्रीय पद्धति के अनुरूप विकसित किये गये हैं तथा भारत सरकार के 'स्वयं' प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराये गए हैं।

3.7 'वृहद् मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम' (एमओओसी) संबंधी दिशानिर्देशों' का अभिप्राय ऑनलाइन–ज्ञानअर्जन के विषय पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिनांक 11 मार्च, 2016 के दिशानिर्देशों तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी किये गये तत्संबंधी उत्तरवर्ती अनुबंधों से है।

3.8 'राष्ट्रीय वृहद् मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम समन्वयकर्ता' (एनएमसी) भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट ऐसी एक राष्ट्रीय स्तरीय एजेन्सी है जिसका उद्देश्य ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को तैयार करने संबंधी कार्य का समन्वय करना तथा ज्ञान अर्जन के एक विनिर्दिष्ट क्षेत्र में उनकी गुणवत्ता की निगरानी करना है।

3.9 'मूल संस्थान' का अभिप्राय उस संस्थान/विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से है जहां पर छात्र एक नियमित/अंशकालिक छात्र के रूप में नामांकित है।

3.10 'प्रधान अन्वेषक' (पीआई): प्रधान अन्वेषक किसी प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान से एक विषयवस्तु विशेषज्ञ (एसएमई) होगा जिसे एनएमसी द्वारा दिए गए किसी विशिष्ट क्षेत्र में वृहद् मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम' (एमओओसी) विकसित करने तथा पूर्ण करने का कार्य सौंपा गया हो।

3.11 'क्षेत्र' का अभिप्राय ज्ञान अर्जन के एक विशिष्ट स्तर जैसे कि माध्यमिक विद्यालय, अभियांत्रिकी/अभियांत्रिकी से इतर डिप्लोमा/उपाधि/स्नातकोत्तर स्तर से है।

3.12 'विषय' का अभिप्राय शिक्षा संस्थान में पढ़ाई जा रही एक ऐसी विधा से है (जैसे–गणित) जिसमें विशिष्ट पाठ्यक्रम मौजूद हैं तथा जिनमें परिणामतः प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/उपाधि प्रदान की जाती है।

3.13 'स्वयं–मंच' मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया तथा चलाया जा रहा एक ऐसा सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य वृहद् मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) पद्धति पर ऑनलाइन ज्ञान–अर्जन पाठ्यक्रमों की पेशकश करना है।

4. ऑनलाइन ज्ञान अर्जन पाठ्यक्रम:

4.1 मेजबान संस्थान के माध्यम से राष्ट्रीय वृहद् मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम समन्वयकर्ता द्वारा अंतिम रूप से तैयार की गई अनुसूची के अनुरूप चिह्नित पीआई द्वारा 'स्वयं' के प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन ज्ञान–अर्जन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे।

4.2 'स्वयं' प्रतिवर्ष 01 जून तथा 01नवम्बर को, संस्थानों के सभी कुल सचिवों को आगामी सेमेस्टर में पेशकश किए जा रहे पर ऑनलाइन ज्ञान–अर्जन पाठ्यक्रमों के संबंध में जानकारी मुहैया कराएगा।

4.3 सभी संस्थान 'स्वयं' द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से 'स्वयं' के प्लेटफॉर्म द्वारा पेशकश किए जा रहे ऑनलाइन पाठ्यक्रमों पर विचार करेगी तथा अपनी शिक्षा संबंधी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उन पाठ्यक्रमों के संबंध में निर्णय लेगा जिन्हें वह क्रेडिट अंतरण की अनुमति प्रदान करेगा।

बशर्ते कोई भी संस्थान किसी एक सेमेस्टर में किसी विशिष्ट कार्यक्रम में पेशकश किए जा रहे कुल पाठ्यक्रमों के 20 प्रतिशत पाठ्यक्रमों को ही 'स्वयं' प्लेटफॉर्म पर आनॅलाइन ज्ञान अर्जन पाठ्यक्रमों के माध्यम से पेशकश करने की स्वीकृति प्रदान कर सकता है।

4.4 यह निर्णय लेते हुए, विद्या परिषद, *अन्य बातों के साथ—साथ* 'स्वयं' के ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को स्वीकृति प्रदान करने पर विचार कर सकती है, यदिः

क) संस्थान में किसी पाठ्यक्रम को चलाने के लिए उपयुक्त शिक्षण कर्मचारिवृंदों की अनुपलब्धता हो अथवा
ख) छात्रों के इच्छित वैकल्पिक पत्र (पाठ्यक्रमों) की पेशकश करने के लिए सुविधाएं संस्थान में उपलब्ध नहीं हों परंतु वे 'स्वयं' के मंच पर उपलब्ध हों।
ग) 'स्वयं' के माध्यम द्वारा पेशकश किए गए पाठ्यक्रम, संस्थान की शिक्षण—ज्ञान अर्जन प्रक्रिया को लाभ पहुंचायेंगे।

4.5 संस्थान की कक्षा में प्रत्येक ऐसा छात्र जिसने किसी विशिष्ट पत्र (पाठ्यक्रम) का चुनाव किया हो उसे उस पाठ्यक्रम/पत्र हेतु वृहद् मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) के लिए पंजीकरण कराना अपेक्षित होगा।

4.6 'स्वयं' के माध्यम से पेशकश किए जा रहे ऑनलाइन ज्ञान—अर्जन पाठ्यक्रमों को स्वीकृति देते हुए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पाठ्यक्रमों को चालू रखने के लिए मूल संस्थान द्वारा अनिवार्य वास्तविक सुविधाएं यथा प्रयोगशालाएं, कम्प्यूटर सुविधाएं, पुस्तकालय आदि निशुल्क तथा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जाएंगी।

4.7 मूल संस्थान द्वारा पाठ्यक्रम की संपूर्ण अवधि के दौरान छात्र को मार्गदर्शन उपलब्ध कराने तथा प्रयोगशाला/क्रियात्मक सत्रों/परीक्षा को सुविधापूर्ण ढ़ग से आयोजित करवाने के लिए एक पाठ्यक्रम समन्वयकर्ता/सुविधा प्रदाता को नियुक्त किया जाए।

5. वृहद् मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण

5.1 मेजबान संस्थान और प्रधान अन्वेषक (पीआई) उनके द्वारा आरंभ किए गए वृहद् मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) हेतु पंजीकृत छात्रों के मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी होंगे।

5.2 मूल्यांकन पूर्व—निर्धारित मानदंडों तथा मानकों पर आधारित होंगे तथा पाठ्यक्रम की संपूर्ण अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट साधनों जैसे चर्चा, मंच, प्रश्नोत्तरी, निर्दिष्ट कार्य, सत्रीय परीक्षाओं और अन्तिम परीक्षाओं के माध्यम से व्यापक मूल्यांकन पर आधारित होंगे।

5.3 जबकि परीक्षा हेतु ऑनलाइन पद्धति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, तथापि, प्रधान अन्वेषक (पीआई) अन्तिम परीक्षा को संचालित करने की पद्धति पर निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत होगा। पाठ्यक्रम को पेशकश किए जाने के समय पाठ्यक्रम की विवरणिका में इस संबंध में घोषणा की जाएगी।

5.4 यदि अन्तिम परीक्षा लिखित में संचालित की जाती है तो इसे आयोजित करने हेतु इच्छुक किसी महाविद्यालय/विद्यालय के माध्यम से आयोजित करवाया जाना चाहिए। इस संबंध में अंतिम निर्णय प्रधान अन्वेषक (पीआई) तथा मेजबान संस्थान द्वारा लिया जाएगा।

5.5 परीक्षा संचालित करवाने तथा मूल्यांकन पूर्ण किए जाने के पश्चात मेजबान संस्थान के माध्यम से प्रधान अन्वेषक (पीआई) घोषित की गई मूल्यांकन योजना के अनुसार अंक/ग्रेड प्रदान करेगा।

5.6 अन्तिम परीक्षा के समापन की तिथि से चार सप्ताह के भीतर छात्र के साथ—साथ उनके मूल संस्थान को अन्तिम अंक/ग्रेड की जानकारी भेजी जाएगी।

5.7 मूल संस्थान 'स्वयं' पाठ्यक्रम के प्रधान अन्वेषक (पीआई) द्वारा मेजबान संस्थान के माध्यम से छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंक/ग्रेड को छात्र की अंक तालिका में शामिल करेगा जिसकी विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम रूप से उपाधि/डिप्लोमा प्रदान करने के लिए गणना की जाती है, बशर्ते कि जिन कार्यक्रमों में प्रयोगशाला/प्रयोगात्मक घटक सम्मिलित हों, तो मूल संस्थान, प्रयोगात्मक/प्रयोगशाला घटक हेतु छात्रों का मूल्यांकन करेगा और तद्नुसार इनमें प्राप्त अंकों/ग्रेडों को समग्र अंको/ग्रेड में सम्मिलित करेगा।

5.8 वृहद् मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) के सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाने के संबंध में प्रमाणपत्र पर प्रधान अन्वेषक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा इन्हें मेजबान संस्थान द्वारा जारी किया जाएगा और मूल संस्थान को भेजा जाएगा।

6. एमओओसी की क्रेडिट मोबिलिटी

6.1 'स्वयं' प्लेटफॉर्म के माध्यम से छात्रों द्वारा ऑनलाइन ज्ञान अर्जन पाठ्यक्रमों द्वारा अर्जित किए गए क्रेडिट के लिए मूल संस्थान छात्रों को समकक्ष क्रेडिट प्रदान करेगा।

6.2 कोई भी विश्वविद्यालय वृहद् मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रमों (एमओओसी) के माध्यम से अर्जित क्रेडिट की मोबिलिटी के लिए किसी भी छात्र को इंकार नहीं करेगा।

7. वृहद् मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रमों (एमओओसी)के अबाधित समेकन हेतु विश्वविद्यालय के नियमों तथा विनियमों में किए जाने वाले अपेक्षित संशोधन

7.1 प्रत्येक संस्थान, इन विनियमों को जारी किए जाने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर अपने सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से अपने अध्यादेशों, नियमों, विनियमों आदि में किए जाने वाले अपेक्षित संशोधनों के बारे में निर्णय लेगा ताकि इन विनियमों के उपबंधों को उनमें सम्मिलित किया जा सके।

8 अनंतिम उपाय

8.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तीन वर्ष के इस अवस्थान्तरणीय काल के दौरान इन विनियमों के कार्यान्वयन के समक्ष आने वाले मुद्दों का समाधान करने के लिए एक स्थायी समिति का गठन करेगा।

प्रो. जसपाल एस सन्धू, सचिव, यूजीसी

[विज्ञापन–III/4/असा./182 (113)]

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

UGC (Credit Framework for Online Learning Courses through SWAYAM) Regulation, 2016.

New Delhi, the 19th July, 2016

No. F.1-100/2016(MOOCs/e-content) 1. Preamble.—

1.1 Whereas Education has to widen the access to higher education and bring down its cost by using technological advances,

1.2 Whereas Massive Open Online Courses (MOOCs) have emerged as a viable model for imparting education, involving conventional and online education,

1.3 Whereas the Indian version of online learning is being launched on an indigenous platform of learning, named as SWAYAM (Study Web of Active Learning by Young and Aspiring Minds),

1.4 Whereas there is a need to create synergies between the salient features of anytime-anywhere format of e-Learning and the traditional classroom-based chalk and talk method to develop a unique content delivery mechanism, which is responsive to learners' needs and ensures seamless transfer of knowledge across geographical boundaries,

1.5 Whereas there is a need to put in place a regulatory mechanism that would allow seamless connect between the online learning and the regular class room learning,

Now therefore;

University Grants Commission in exercise of the powers conferred by clause (f) and (g) of sub-section (1) of Section 26 of the UGC Act 1956 (No. 3 of 1956), makes the following Regulations, namely;

2. Short title, Application and Commencement:

2.1 These Regulations shall be called the **UGC (Credit Framework for online learning courses through SWAYAM) Regulation 2016**.

2.2 These shall apply to all universities established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act, or a State/Union Territory Act and all institutions recognized by or affiliated to such Universities and all institutions deemed to be universities under Section 3 of the UGC Act, 1956.

2.3 These shall further apply to the transfer of credits of such students who are enrolled as regular/part-time students in any educational institution in India.

2.4 These shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

3. <u>Definitions:</u>

3.1 'Academic Council' is the body empowered to take decisions regarding all academic matters in an institution including the decision regarding permitting online learning courses through SWAYAM.

3.2 'Course' shall mean a paper which is taught for at least one semester as a part of a subject

3.3 'Four quadrant approach': the four Quadrant approach means e-learning system that has the following components:

- Quadrant-I is e-Tutorial: that shall contain: Video and Audio Contentinan organised form, Animation, Simulations,Virtual Labs.
- Quadrant-II is e-Content: that shall contain: PDF/e-Books/illustration, video demonstrations, documents and Interactive simulations wherever required.
- Quadrant-III is Web Resources: that shall contain: Related Links, Open Content on Internet, Case Studies, An ecdotalin formation, Historical development of the subject, Articles.
- Quadrant-IV is Self-Assessment : that shall contain: MCQ, Problems, Quizzes, Assignments and solutions, Discussion forum topics and setting up the FAQ, Clarifications on general misconceptions.

3.4 'Host Institution' shall mean the institution duly recognised/approved by the regulating authority, to which the PI/SME offering the course belongs.

3.5 'Institution' shall mean any academic institution registered and functioning in India.

3.6 'MOOCs': Massive Open Online Courses (MOOCs) are such online courses which are developed as per the pedagogy stated herein; following the four quadrant approach and made available on the SWAYAM platform of Government of India.

3.7 'MOOCs Guidelines' shall mean guidelines on online learning issued by the MHRD vide its orders dated 11th March 2016 and subsequent addendums issued by the MHRD.

3.8 'National MOOCs Coordinator' (NMC) is a Nation level agency designated as such by the Government, for the purpose of coordinating the production of the online courses and for overseeing their quality in a designated sector of learning.

3.9 'Parent Institution' shall mean the institution/university/college where the student is enrolled as a regular/part-time student.

3.10 'Principal Investigator (PI)': The PI shall be a Subject Matter Expert (SME) belonging to a reputed educational institution, identified and entrusted with the task of developing and delivering MOOCs in a given area by the NMC.

3.11 'Sector' shall mean a particular level of learning such as high school, engineering/non-engineering diploma/degree/post-graduation.

3.12 'Subject' shall mean a discipline (eg Mathematics) taught in an educational institution consisting of specific courses, resulting in awarding of a certificate/diploma/degree.

3.13 'SWAYAM platform' is an IT platform developed and made functional by the Ministry of Human Resource Development of Government of India for the purpose of offering online learning courses on the MOOCs pattern.

4. Online learning courses:

4.1. The online learning courses shall be made available on the SWAYAM Platform by the PI identified by the National MOOCs Coordinator, through the Host Institution, as per the schedule finalised by him/her.

4.2. The SWAYAM shall notify to the Registrars of all the Institutions, on 1st June and 1st November every year, the list of the online learning Courses going to be offered in the forthcoming Semester.

4.3. All the Institutions shall, within 4 weeks from the date of notification by SWAYAM, consider through their Competent Authoritythe online learning courses being offered through the SWAYAM platform; and keeping in view their academic requirements,decide uponthe courses which it shall permit for credit transfer.

Provided that an Institution can only allow up to 20% of the total courses being offered in a particular program in a Semester through the online learning courses provided through SWAYAM platform.

4.4. While making this decision, the Academic Council may, *interalia*, consider allowing online courses of SWAYAM if:

a) There is non-availability of suitable teaching staff for running a course in the Institution or
b) The facilities for offering the elective papers (courses), sought for by the students are not on offer in the Institution, but are available on the SWAYAM platform.
c) The courses offered on SWAYAM would supplement the teaching-learning process in the Institution.

4.5 Every student,in the class of the institution,offering a particular paper (course) would be required to register for the MOOCs for that course/paper.

4.6 While allowing the online learning Courses offered by SWAYAM, it shall be ensured that the physical facilities like Laboratories, computer facilities, library etc, essential for pursuing the courses shall be made available free and in adequate measure by the parent institution.

4.7 The parent institution must designate a course coordinator/facilitator to guide the students throughout the course and to facilitate/conduct the Lab/Practical sessions/examinations.

5. Evaluation and Certification of MOOCs

5.1. The host institution and the PI shall be responsible for evaluating the students registered for the MOOCs course launched by him/her.

5.2. The evaluation should be based on predefined norms and parameters and shall be based on a comprehensive evaluation throughout the length and breadth of course based on specified instruments like discussions, forums,quizzes, assignments, sessional examinations and final examination.

5.3. Whereas an online examination would be the preferred mode, the PI shall be authorised to decide on the mode of conducting the final examination. This shall be announced in the overview of the Course at the time of offering the course.

5.4. In case, apen and paper final examination is to be conducted, the same shall be offered through any college/school volunteering to conduct the same. The decision in this respect will be of the PI and the host institution.

5.5. After conduct of the examination and completion of the evaluation, the PI through the host institution shall award marks/grade as per the evaluation scheme announced.

5.6. The final marks/grade shall be communicated to the students as well as the parent institution of the student, within 4 weeks from the date of completion of the final examination.

5.7. The parent Institution shall, incorporate the marks/grade obtained by the student, as communicated by the Host Institution through the PI of the SWAYAM course in the marks sheet of the student that counts for final award of the degree/diploma by the University with the proviso that the programs in which Lab/Practical Component is involved, the parent institution will evaluate the students for the practical/Lab component and accordingly incorporate these marks/grade in the overall marks/grade

5.8. A certificate regarding successful completion of the MOOCs course shall be signed by the PI and issued through the Host Institution and sent to the Parent Institution.

6. Credit Mobility of MOOCs

6.1. The parent Institution shall give the equivalent credit weightage to the students for the credits earned through online learning courses through SWAYAM platform in the credit plan of the program.

6.2. No university shall refuse any student for credit mobility for the courses earned through MOOCs.

7. Amendment required in University Rules and Regulations for Seamless Integration of MOOCs

7.1 Every Institution, shall within 4 weeks from the date of issue of these Regulations, shall decide through their Competent Authority, the amendments required in their Ordinances, Rules, Regulations etc to incorporate provisions of these Regulation.

8. Transitory Measures

8.1 The UGC shall notify a Standing committee to resolve any issues that may arise in the implementation of these regulations during the transition period of three years.

Prof. JASPAL S. SANDHU, Secy. UGC

[ADVT.-III/4/Exty./182 (113)]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०–33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 191] नई दिल्ली, सोमवार, मई 8, 2017/वैशाख 18, 1939

No. 191] NEW DELHI, MONDAY, MAY 8, 2017/VAISAKHA 18, 1939

fo'ofo|ky; vuqnku vk;ksx

vf/klwpuk

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2017

;wthlh ¼^^Lo;a **dh ek/;e ls vkuykbu f'k{kk ikfB~;Øe gsrq ØsfMV <kapk½ fofu;e 2016 ¼çFke la'kks/ku½

fe-la-1&100@2016¼,e-vks-vks-lh-@bZ&lkexzh½-&विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी अधिनियम 1956 (1956 का नंबर 3) की धारा 26 की उप–धारा (1) एवं खंड (एफ) और (जी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा यूजीसी के विनियम एम.ओ.ओ.सी. (MOOCs) की मिसिल संख्याः 1–100/2016 (एम.ओ.ओ.सी. ई–सामग्री) राजपत्र अधिसूचना दिनांक 20. 07.2016 की निरंतरता में निम्नलिखित संशोधन विनियम बनाता है;

2- y?kq 'kh"kZ] vuqiz;ksx ,oa izorZu%

2.1 ये विनियम यूजीसी ¼Lo;a dh ek/;e ls vkuykbu f'k{kk ikfB~;Øe gsrq ØsfMV <kapk½ fofu;e] 2016 ¼çFke la'kks/ku½ कहलाएंगे।

2.2 वे ऐसे समस्त विश्वविद्यालयों पर लागू होंगे जो एक केन्द्रीय अधिनियम, प्रान्तीय अधिनियम, एक राज्य/संघ शासित प्रदेश अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित एवं निगमित हैं एवं अन्य संस्थान जो कि इन विश्वविद्यालयों एवं यूजीसी अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत समस्त मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा मान्य एवं उनसे संबद्ध हैं।

2.3 इसके साथ ही ये विनियम ऐसे छात्रों के क्रेडिट हस्तांतरण पर लागू होंगे जो कि भारतवर्ष में किसी भी शैक्षिक संस्थान में एक नियमित/अंशकालिक छात्र के रूप में प्रवेश प्राप्त हैं।

2.4 सरकारी राजपत्र में इनकी प्रकाशन की तिथि से वे लागू माने जाएंगे।

3- यूजीसी ¼Lo;a dh ek/;e ls vkuykbu f'k{kk ikfB~;Øe gsrq ØsfMV <kapk½ fofu;e] 2016 dh fu;eu ea

fofu;e iSjk 3-9 ¼&

^^ewy laLFkk* dk vFkZ gksxk] Nk= ftl laLFkk@fo'ofo|ky;@egkfo|ky; esa ,d fu;fer@va'kdkfyd Nk= ds :i esa ukekafdr fd;k x;k gSA

को प्रतिस्थापित किया जा सकता है:–

^^ewy laLFkk* dk vFkZ gksxk] Nk= ftl laLFkk@fo'ofo|ky;@egkfo|ky; esa ukekafdr fd;k x;k gSA

प्रो. जसपाल सिंह सन्धू, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./57/17]

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 2017

UGC (Credit Framework for Online Courses through SWAYAM) Regulation, 2016 (First Amendment)

F.No.1-100/2016 (MOOCs/e-Content).—University Grants Commission in exercise of the powers conferred by clause (f) and (g) of sub-section (1) of Section 26 of the UGC Act 1956 (No. 3 of 1956), and in continuation of UGC MOOCs regulations no F.No.1-100/2016 (MOOCs/e-Content) Gazette Notification dated 20.07.2016 makes the following Amendment Regulations, namely;

2. Short title, Application and Commencement:

2.1 These Regulations shall be called the **UGC (Credit Framework for online learning courses through SWAYAM) Regulation 2016, (First Amendment).**

2.2 These shall apply to all universities established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act, or a State/Union Territory Act and all institutions recognized by or affiliated to such Universities and all institutions deemed to be universities under Section 3 of the UGC Act, 1956.

2.3 These shall further apply to the transfer of credits of such students who are enrolled as regular/part-time students in any educational institution in India.

2.4 These shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

3. In the UGC (Credit Framework for Online Courses through SWAYAM) Regulation, 2016 Regulation.

Para 3.9 of the Regulations:-

"'Parent Institution' shall mean the institution/university/college where the student is enrolled as a regular/part-time student

may be replaced by**:-**

''Parent Institution' shall mean the institution/university/college where the student is enrolled".

Prof. JASPAL S SANDHU, Secy.

[ADVT./III/4/Exty./57/17]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.05.11 09:17:01 +05'30'